

**HDFC
ERGO**

माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY)

मौसम - खरीफ 2025

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!



माननीय मंत्री
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
विभाग, झारखण्ड सरकार

**ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए नामांकन की
अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025**

अधिसूचित जिला	अधिसूचित फसल	बीमा की ईकाई	बीमित राशि (रु./हे.)	कृषक द्वारा टोकन देय	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम	अगहनी धान	ग्राम पंचायत	प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि	1 रु.	31 जुलाई 2025
	भदई मकई	प्रखण्ड स्तर			

बीमा कराने के लिए निम्न आवश्यक दस्तावेज निर्धारित हैं -

- 1) आधार कार्ड (पंजीयन केन्द्र पर दिखाने के लिए) (2) बैंक पासबुक की छायाप्रति
- (3) भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र एवं वंशावली (4) बटाई प्रमाण पत्र (बटाईदार कृषक होने पर - नोटराईज्ड)
- (5) फसल बुवाई प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित) (6) मोबाइल नम्बर

योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित पर संपर्क कर सकते हैं:

जिला सहकारिता कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय और प्रखण्ड कार्यालय या

कृषि रक्षक टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 14447 पर संपर्क करें।

फसल बीमा कराने हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए



बैंक शाखा



www.pmfby.gov.in



प्रज्ञा केन्द्र



बीमा कार्यालय

हमारी वेबसाइट पर जाएं :

<https://pmfby.gov.in/farmer> या

हमारी टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करें।



अधिसूचित क्षेत्र आधार पर	व्यक्तिगत खेत आधार पर
- बुवाई/रोपाई नहीं होने पर: प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75% क्षेत्र में बुवाई न होने पर बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति। केवल धान फसल के लिए लागू है। - फसल कटाई प्रयोग आधार पर: प्रत्येक अधिसूचित ग्राम पंचायत में 04 फसल कटाई द्वारा व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसान का आंकलन। - योजनांतर्गत बीमा दावा का निर्धारण बीमित ग्राम पंचायत एवं फसल में कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज का निर्धारित धेशहोल्ड उपज से तुलना उपरांत बीमा कंपनी द्वारा देय होता है। जितना प्रतिशत उपज में कमी आती है, उनके मान से दावा राशि प्रदान किया जाता है।	- फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गयी फसलों को फसल कटाई के पश्चात केवल 14 दिनों के अधिकतम अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसमी बारिश होने से हानि होने की स्थिति में। फसल कटाई उपरान्त नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर अपनी फसल के नुकसान की सूचना यहाँ दें: - राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक - प्रज्ञा केन्द्र (CSC) - भारत सरकार की क्रॉप इश्योरेंस ऐप। - शिकायत निवारण पोर्टल टोल फ्री नं.14447

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि/हे.	कृषक प्रीमियम टोकन देय	किसान खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि
खरीफ 2025	पूर्वी सिंहभूम	अगहनी धान	91441.35	कृषक प्रीमियम टोकन देय रु. 1	31 जुलाई 2025
		भदई मकई	75624.15		31 जुलाई 2025
	गढ़वा	अगहनी धान	72647.4		31 जुलाई 2025
		भदई मकई	59674.65		31 जुलाई 2025
	कोडरमा	अगहनी धान	66071.25		31 जुलाई 2025
		भदई मकई	55236.3		31 जुलाई 2025
	लोहरदगा	अगहनी धान	81390.75		31 जुलाई 2025
		भदई मकई	63761.25		31 जुलाई 2025
	पलामू	अगहनी धान	69287.40		31 जुलाई 2025
		भदई मकई	52260.60		31 जुलाई 2025
	रामगढ़	अगहनी धान	68775		31 जुलाई 2025
		भदई मकई	53287.50		31 जुलाई 2025
	साहेबगंज	अगहनी धान	85810.57		31 जुलाई 2025
		भदई मकई	65847.34		31 जुलाई 2025
	पश्चिमी सिंहभूम	अगहनी धान	74782.48		31 जुलाई 2025
		भदई मकई	59158.05		31 जुलाई 2025



ई-मेल: pmfby.jharkhand@hdfcergo.com
वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>



बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - 2025

जिला-

प्रखण्ड-

पंचायत-

मौजा-

1. कृषक का नाम:-
2. पिता/पति का नाम:-
3. कृषक का आधार नं:-
4. कृषक का मोबाइल नं:-
5. बैंक खाता संख्या:-
6. बैंक IFSC CODE :-
7. भूमि विवरण:-

संलग्न आवश्यक दस्तावेज
01. आधार का फोटो कॉपी
02. बैंक पास बुक का प्रति
03. राजस्व लगान रसीद
04. वंशावली

जमावंदीदार का नाम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा हेक्टेयर में	कृषक का जमावंदीदार से रिश्ता

वंशावली

आवेदक का हस्ताक्षर

उपरोक्त लाभुक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 अंतर्गत सुयोग्य पत्र है जो हेक्टेयर पर खेती करते हैं।

मुखिया का हस्ताक्षर एवं सत्यापन

गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु स्व-घोषणा पत्र

Annexure - III

मैं श्रीमान/श्रीमती/सुश्रीपिता/पति.....

जिला.....ब्लॉक.....ग्राम पंचायत.....का निवासी हूँ।

निम्नांकित हेक्टेयर जमीन पर मेरे द्वारा खेती की जा रही है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे निम्नांकित भूमि पर खरीफ/रबी फसल हेतु बीमा कराया जा रहा है एवं बीमा कराने हेतु किसी अन्य पंजीकरण केन्द्र पर आवेदन नहीं किया गया है। भूमि संबंधी विवरणी वंशावली/व्यक्तिगत भूमि के आधार पर दर्ज किया गया है।

बीमा कराये जाने वाले रकबे का विवरण

जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गाँव	खाता नम्बर	प्लॉट नम्बर	फसल	बोया गया रकबा (हेक्टेयर में)
कुल							

मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और यदि यह किसी भी परिस्थिति में गलत साबित होती है, तो फसल बीमा के लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता हूँ कि इस मौसम में उपरोक्त फसल एवं आच्छादित क्षेत्र (मेरे हिस्से की भूमि) हेतु मेरे द्वारा एक से ज्यादा आवेदन नहीं किया गया है। गलत/झूठी जानकारी देने/आवेदन करने पर मेरा आवेदन/पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है और इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक

कृषक का हस्ताक्षर